विज्ञापन
महानिदेशालय
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
(गृह मंत्रालय)

के०रि०पु०बल में खेल कोटा-2026 के अंतर्गत हवलदार और सिपाही (सामान्य ड्यूटी) के पद पर मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती
(हेल्प लाइन नंबर 011-26160255)

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में खेल कोटा के अंतर्गत हवलदार और सिपाही (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए भारत में सामान्यत: निवासरत पुरुष/महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

पद का नाम	पुरुष	महिला	कुल	वेतन स्तर
हवलदार/जीडी खेल कोटा के अंतर्गत	150	32	**182**	वेतन मैट्रिक्स-04 रु. 25,500-81,100/-
सिपाही/जीडी खेल कोटा के अंतर्गत	258	81	**339**	वेतन मैट्रिक्स-03 रु. 21,700-69,100/-

टिप्पणी:-

(i) रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी समय / चरण में प्रशासनिक कारणों से बढ़ या घट सकती हैं।

(ii) खेल विधा/स्पर्धा-वार रिक्तियों का विवरण तथा विस्तृत जानकारी केरिपुबल की वेबसाइट अर्थात **https://www.rect.crpf.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

2. आवेदन कैसे करें :-

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट **https://rect.crpf.gov.in** के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन में यदि कोई परिवर्तन/शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसकी जानकारी के०रि०पु०बल की वेबसाइट **https://rect.crpf.gov.in** पर देखी जा सकती है।

महत्वपूर्ण तिथियां: -
(क) ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : 12/10/2026
(ख) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 11/11/2026
(ग) ऑनलाइन प्रस्तुत किए आवेदन में सुधार/संशोधन की तिथि : 12/11/2026 से 14/11/2026 तक।

हस्ता0 दि0 17/09/2026
(प्रशान्त दर)
उप महानिरीक्षक (भर्ती) महानिदेशालय

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
पूर्वी खंड-7, तल-4, सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
(गृह मंत्रालय) भारत सरकार

(भर्ती विज्ञप्ति)

विज्ञापन संख्या : आर-दो-21/2026-स्पोर्ट्स   दिनांक 17 सितम्बर, 2026

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेल कोटा-2026 के अंतर्गत हवलदार/सिपाही(सामान्य ड्यूटी) के पदो पर मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारम्भ होने की तिथि	:	**12/10/2026**
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	:	**11/11/2026**
प्राप्त ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार/संशोधन की तिथि	:	**12/11/2026 से 14/11/2026 तक**

यह भर्ती केवल मेधावी खिलाड़ियों के लिए है, जो नीचे दिए गए पैरा-6 के अनुसार पदक विजेता/स्थान प्राप्तकर्ता और/या प्रतिभागी हैं।

पैरा 2(ए), (बी) एवं (सी) में दी गई सारणी के अनुसार **खेल कोटा** के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में **अराजपत्रित एवं अननुसचिवीय** समूह "ग" के **हवलदार/सिपाही (सामान्य ड्यूटी)** के पदों की **521 रिक्तियों** को अस्थायी आधार पर (जिसे स्थायी किए जाने की संभावना है) भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों (पुरुष एवं महिला) से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इन पदों पर अखिल भारतीय दायित्व होगा तथा चयनित अभ्यर्थी भारत में या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य होंगे। नियुक्ति होने पर अभ्यर्थी **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली, 1955** के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं किया जाएगा। **"ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 12/10/2026 को प्रातः 0900 बजे से प्रारंभ होगी और दिनांक 11/11/2026 को 23:59 बजे बंद कर दी जाएगी।" आवेदकों** को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें ताकि उन्हें बाद में निराश न होना पड़े।

2. रिक्तियों का ब्यौरा: -

ए) विभिन्न खेल विधाओं में हवलदार/जीडी एवं सिपाही/जीडी के पदों पर कुल 521 रिक्तियों को भरा जाना है **::** (हवलदार/जीडी: पुरुष – 150, महिला – 32, कुल – 182 तथा सिपाही/जीडी: पुरुष – 258, महिला – 81, कुल – 339), कुल योग – 521

क्र. सं.	खेल विधाएं	स्पर्धा	सिपाही/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		हवलदार/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		कुल योग
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1.	एक्वाटिक (तैराकी)	50/100/200/400/800/ 1500 मीटर फ्री स्टाइल	4	1	3	1	9
		50/100/200 मीटर बैकस्ट्रॉक	3	1	2	--	6
		50/100/200 मीटर ब्रेस्टस्टॉक	3	1	2	--	6
		50/100/200 मीटर बटरफ्लाई	3	1	2	--	6
		200/400 मीटर इंडिविजुअल मेडले	3	0	2	--	5
	गोताखोरी	ऊंचे मंच से पानी के अंदर छलांग लगाना/3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड/1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड	5	1	2	1	9
	वाटर पोलो	गोल कीपर/ फॉरवर्ड फुल बैक/ राइट विंग लेफ्ट विंग	8	3	7	1	19
		योग	**29**	**8**	**20**	**3**	**60**
2.	तीरंदाजी	रिकर्व	-	1	--	--	1
		इंडियन राउंड	-	2	--	-	2
		योग	**-**	**3**	**-**	**-**	**3**
3.	एथलेटिक्स	100 मीटर	3	--	4	1	8
		400 मीटर	2	--	2	--	4
		800 मीटर	2	1	1	--	4
		1500 मीटर	2	1	1	--	4
		5000 मीटर	3	1	2	--	6
		110 मीटर (एच)	2	--	2	--	4
		400 मीटर (एच)	2	--	2	--	4
		3000 मीटर एस/सी	2	--	2	--	4
		लंबी कूद	3	-	2	1	6
		ऊंची कूद	3	1	2	--	6
		ट्रिपल जंप	2	--	2	--	4
		पोल वॉल्ट	2	1	2	--	5
		डिस्कस थ्रो	2	1	2	--	5
		हैमर थ्रो	2	-	1	1	4
		शॉट पुट	2	1	2	--	5
		भाला फेंकना	3	1	2	1	7
		20 किमी वॉक	2	--	1	--	3
		10 किमी वॉक	2	1	1	--	4
		मैराथन	2	--	1	--	3
		डेकाथलॉन	2	--	1	--	3
		क्रॉस कंट्री	5	1	2	--	8
		योग	**50**	**10**	**37**	**4**	**101**

क्र. सं.	खेल विधाएं	स्पर्धा	सिपाही/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		हवलदार/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		कुल योग
4.	बैडमिंटन	बैडमिंटन	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
		योग	**3**	**--**	**2**	**--**	**5**
5.	बास्केटबॉल	पॉवर फॉरवर्ड सेंटर पॉइन्ट गार्ड	10	--	6	--	16
		योग	**10**	**--**	**6**	**--**	**16**
6.	बॉडी बिल्डिंग	55 किग्रा (पुरुष)	1	--	1	--	2
		60 किग्रा (पुरुष)	1	--	1	--	2
		65 किग्रा (पुरुष)	2	--	1	--	3
		70 किग्रा (पुरुष)	2	--	1	--	3
		75 किग्रा (पुरुष)	1	--	--	--	1
		योग	**7**	**--**	**4**	**--**	**11**
7.	बॉक्सिंग	48 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		50 किग्रा (पुरुष)	1	--	--	--	1
		51 किग्रा (महिला)	--	1	--	1	2
		54 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		55 किग्रा (पुरुष)	1	--	1	--	2
		57 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		60 किग्रा (पुरुष & महिला)	2	1	1	--	4
		65 किग्रा (पुरुष & महिला)	2	1	1	1	5
		70 किग्रा (पुरुष & महिला)	1	--	1	--	2
		75 किग्रा (पुरुष & महिला)	1	--	--	--	1
		योग	**8**	**6**	**4**	**2**	**20**
8.	फुटबॉल	गोल कीपर/ डिफेंडर / मिड फील्डर/ फॉरवर्ड	15	3	3	1	22
		योग	**15**	**3**	**3**	**1**	**22**
9.	जिम्नास्टिक	जिम्नास्टिक (ऑल-राउंडर)	8	--	4	--	12
		योग	**8**	**--**	**4**	**--**	**12**
10.	हैंडबॉल	हैंडबॉल	10	--	2	--	12
		योग	**10**	**--**	**2**	**--**	**12**
11.	हॉकी	फुल बैक/ हॉफ बैक / गोल कीपर / डिफेंडर / मिड फील्डर / फॉरवर्ड	9	4	--	2	15
		योग	**9**	**4**	**--**	**2**	**15**

क्र. सं.	खेल विधाएं	स्पर्धा	सिपाही/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		हवलदार/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		कुल योग
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
12.	जूडो	48 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		52 किग्रा (महिला)	--	1	--	1	2
		57 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		60 किग्रा (पुरुष)	2	--	1	--	3
		63 किग्रा (महिला)	--	--	--	1	1
		66 किग्रा (पुरुष)	2	--	1	--	3
		70 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		73 किग्रा (पुरुष)	2	--	--	--	2
		81 किग्रा (पुरुष)	2	--	--	--	2
		योग	**8**	**4**	**2**	**2**	**16**
13.	कबड्डी	कबड्डी	18	4	4	1	27
		योग	**18**	**4**	**4**	**1**	**27**
14.	कराटे	-50 किग्रा (कुमिते) (महिला)	--	1	--	--	1
		-55 किग्रा (कुमिते) (पुरुष)	2	--	--	--	2
		-60 किग्रा (कुमिते) (पुरुष)	2	--	1	--	3
		-61 किग्रा (कुमिते) (महिला)	--	1	--	--	1
		-67 किग्रा (कुमिते) (पुरुष)	2	--	2	--	4
		-68 किग्रा (कुमिते) (महिला)	--	1	--	--	1
		-75 किग्रा (कुमिते) (पुरुष)	1	--	1	--	2
		एकल काता (महिला & पुरुष)	--	--	1	2	3
		योग	**7**	**3**	**5**	**2**	**17**
15.	निशानेबाजी	10 मीटर एयर राइफल	3	1	3	--	7
		10 मीटर एयर पिस्टल	3	1	3	--	7
		50 मीटर फ्री पिस्टल	3	1	2	--	6
		25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल	2	1	1	1	5
		25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल	3	--	2	--	5
		25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल	3	--	2	--	5
		25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल	3	--	2	--	5
		50 मीटर राइफल प्रोन	3	1	2	--	6
		50 मीटर राइफल 3 पोजीशन	3	1	2	1	7
		योग	**26**	**6**	**19**	**2**	**53**

क्र. सं.	खेल विधाएं	स्पर्धा	सिपाही/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		हवलदार/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		कुल योग
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
16.	ताइक्कांडो	46 किग्रा(क्योरोगी) (महिला)	--	1	--	--	1
		49 किग्रा(क्योरोगी) (महिला)	--	1	--	--	1
		53 किग्रा(क्योरोगी) (महिला)	--	1	--	--	1
		57 किग्रा(क्योरोगी) (महिला)	--	1	--	1	2
		58 किग्रा(क्योरोगी) (पुरुष)	1	--	1	--	2
		62 किग्रा(क्योरोगी) (महिला)	--	1	--	1	2
		63 किग्रा(क्योरोगी) (पुरुष)	1	--	1	--	2
		68 किग्रा(क्योरोगी) (पुरुष)	1	--	1	--	2
		74 किग्रा(क्योरोगी) (पुरुष)	1	--	-	--	1
		योग	**4**	**5**	**3**	**2**	**14**
17.	वॉलीबॉल	वॉलीबॉल	10	5	3	2	20
		योग	**10**	**5**	**3**	**2**	**20**
18.	वाटर स्पोर्ट्स	कयाकिंग	1	1	1	--	3
		कायक स्लैलम	1	1	1	1	4
		नौकायन (कैनोइंग) (एल/आर)	1	1	1	--	3
		कैनो स्लैलम	1	1	1	--	3
		रोइंग	2	2	2	1	7
		योग	**6**	**6**	**6**	**2**	**20**
19.	भारोत्तोलन	48 किग्रा (महिला)	--	1	--	1	2
		53 किग्रा (महिला)	--	1	--	1	2
		58 किग्रा (महिला)	--	1	--	1	2
		60 किग्रा (पुरुष)	1	--	2	--	3
		63 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		65 किग्रा (पुरुष)	2	--	2	--	4
		69 किग्रा (महिला)	--	1	--	--	1
		71 किग्रा (पुरुष)	1	--	1	--	2
		79 किग्रा (पुरुष)	1	--	1	--	2
		योग	**5**	**5**	**6**	**3**	**19**

क्र. सं.	खेल विधाएं	स्पर्धा	सिपाही/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		हवलदार/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		कुल योग
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
20.	वुशु	(ताओलू) नानक्वान ग्रुप (दोनों)	1	--	1	--	2
		(ताओलू) चांगक्वान ग्रुप-01 (जिआनशु) (दोनों)	1	--	1	--	2
		(ताओलू) चांगक्वान ग्रुप-01(दाओशु)(दोनों)	1	--	--	--	1
		(ताओलू) ताईजीक्वान ग्रुप-01 (दोनों)	1	--	1	--	2
		सांडा 45 किग्रा (महिला)	--	1	---	--	1
		सांडा 48 किग्रा (दोनों)	1	1	1	1	4
		सांडा 52 किग्रा (दोनों)	1	--	--	1	2
		सांडा 56 किग्रा (दोनों)	--	1	1	--	2
		सांडा 60 किग्रा (दोनों)	1	--	1	--	2
		सांडा 65 किग्रा (दोनों)	1	--	-	--	1
		सांडा 70 किग्रा (दोनों)	1	--	--	--	1
		योग	**9**	**3**	**6**	**2**	**20**
21.	कुश्ती	50 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला)	--	1	--	--	1
		53 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला)	--	1	--	1	2
		55 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला)	--	1	--	--	1
		57 किग्रा फ्री स्टाइल (दोनों)	1	1	2	--	4
		61 किग्रा फ्री स्टाइल (पुरुष)	1	--	1	--	2
		62 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला)	--	--	--	1	1
		65 किग्रा फ्री स्टाइल (दोनों)	1	--	1	--	2
		74 किग्रा फ्री स्टाइल (पुरुष)	1	--	1	--	2
		79 किग्रा फ्री स्टाइल (पुरुष)	1	--	--	--	1
		55 किग्रा ग्रीको-रोमन (दोनों)	1	--	1	--	2
		60 किग्रा ग्रीको-रोमन (पुरुष)	1	--	1	--	2
		63 किग्रा ग्रीको-रोमन (पुरुष)	1	--	1	--	2
		67 किग्रा ग्रीको-रोमन (पुरुष)	1	--	1	--	2
		72 किग्रा ग्रीको-रोमन (पुरुष)	1	--	1	--	2
		योग	**10**	**4**	**10**	**2**	**26**

क्र. सं.	खेल विधाएं	स्पर्धा	सिपाही/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		हवलदार/जीडी के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव		कुल योग
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
22.	योगा	योगासन	6	2	4	-	12
		योग	**6**	**2**	**4**	-	**12**
		कुल योग	**258**	**81**	**150**	**32**	**521**

बी) ये रिक्तियाँ अस्थायी हैं और बिना किसी सूचना के इनमें वृद्धि या कमी की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना केरिपुबल भर्ती वेबसाइट अर्थात् www.rect.crpf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी।

सी) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस विज्ञापन के प्रकाशन के बाद भर्ती प्रक्रिया के क्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केरिपुबल बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण को संशोधित करने, रद्द करने, स्थगित करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. वेतनमान और अन्य भत्ते:-

(ए) 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार संशोधित वेतनमान:-

हवलदार(सामान्य ड्यूटी) खिलाड़ी	स्तर- 4 ₹ 25500-81100/-
सिपाही(सामान्य ड्यूटी) खिलाड़ी	स्तर- 3 ₹ 21700-69100/-

(बी) अन्य भत्ते:- उपरोक्त पदों पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और समय-समय पर सरकारी आदेशों के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में देय अन्य भत्ते मिलते हैं।

(सी) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 07/01/2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(7)(2)/ 2003/टीए के माध्यम से कार्यान्वित नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. पात्रता शर्तें: -

पद का नाम	आयु	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	खेलकूद योग्यता
हवलदार/जीडी (खेल कोटा के अंतर्गत)	**दिनांक 01.08.2026 को 18 से 23 वर्ष** (अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 02/08/2003 से पहले और दिनांक 01/08/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट)	10+2 या समकक्ष परीक्षा, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो, जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष सैन्य अर्हता मान्य होगी। [अभ्यर्थी ध्यान दें कि आयु इत्यादि निर्धारित करने हेतु केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज	**ए)** ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की स्वीकृति से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/खेल आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। **बी)** ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल/चैंपियनशिप अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो तथा कोई

		जन्मतिथि एवं नाम ही स्वीकार किया जाएगा। इसमें परिवर्तन के लिए बाद में किए गए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के पास **दिनांक 11/11/2026** को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।]	पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो। **सी)** ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। टीम स्पर्धा के मामले में, संबंधित टीम ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)/अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित ऐसी प्रतियोगिता के फाइनल में स्थान प्राप्त किया हो। **डी)** ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तर के खेल/चैंपियनशिप/प्रतियोगिता में व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा में स्वर्ण या रजत पदक जीता हो।
सिपाही/जीडी (खेल कोटा के अंतर्गत)	**दिनांक 01.08.2026 को 18 से 23 वर्ष की आयु** (अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 02/08/2003 से पहले और दिनांक 01/08/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। [अभ्यर्थी ध्यान दें कि आयु इत्यादि निर्धारित करने हेतु मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्म तिथि और नाम ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें परिवर्तन के संबंध में बाद में किए गए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास **दिनांक 11/11/2026** को निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।]	**ए)** ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं/चैंपियनशिप में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। **बी)** ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेल/क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में राज्य की स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया हो तथा कोई पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो। **सी)** ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के प्राधिकार से आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम्स/खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का प्रतिनिधित्व किया हो तथा कोई पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो।

			डी) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्डों द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में किसी भी खेल/क्रीड़ा में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोट :

(i) अभ्यर्थी की खेल उपलब्धि/प्रमाण-पत्र भर्ती विज्ञापन के समाचार-पत्रों/वेबसाइटों में प्रकाशित होने की तारीख से पिछले दो वर्षों की अवधि का होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि आयु और नाम निर्धारित करने के लिए केरिपुबल द्वारा केवल मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्मतिथि और नाम ही मान्य होंगे। इसमें परिवर्तन करने के लिए बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थियों को पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनके पास सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र होने चाहिए। परीक्षा में सम्मिलित हो रहे/परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे तथा शैक्षणिक/खेल प्रमाण-पत्र धारण न करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) केंद्रीय बोर्ड/राज्य बोर्ड के अतिरिक्त अन्य सभी शैक्षणिक एवं खेल योग्यता प्रमाण-पत्रों के साथ केंद्र सरकार के अधीन सेवा के लिए उक्त योग्यता को समकक्ष घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) ऐसे खिलाड़ियों के संबंध में आवेदन, जो किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, अपने नियोक्ता के माध्यम से **'अनापत्ति प्रमाण-पत्र'** के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका प्रारूप **अनुलग्नक- "ए"** में दिया गया है। **'अनापत्ति प्रमाण-पत्र'** के बिना प्रस्तुत किए गए ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन भर्ती बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(vi) चयनित अभ्यर्थियों को बल में न्यूनतम तीन वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित किसी विशिष्ट अवधि तक सेवा करने के लिए बांड प्रस्तुत करना होगा। संबंधित खिलाड़ी को **₹1,00,000/-** की राशि का बांड देकर यह वचनबद्धता देनी होगी कि वह किसी अन्य स्थान पर बेहतर रोजगार प्राप्त करने अथवा किसी अन्य कारण से त्यागपत्र देने से पूर्व **कम-से-कम 3 वर्ष** तक बल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सेवा करेगा/करेगी**।** उक्त बांड संलग्न निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-"बी")** में प्राप्त कर संबंधित ग्रुप केंद्र/यूनिट द्वारा अभिलेख में रखा जा सकता है तथा इसकी सूचना निदेशालय के केंद्रीय क्रीड़ा अधिकारी को दी जाएगी।

5. **अधिकतम आयु सीमा में छूट:-**

i) आयु 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 02/08/2003 से पहले और दिनांक 01/08/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 01/08/2026 होगी। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी:

क्र. सं.	श्रेणी	मेधावी खिलाड़ियों को श्रेणीवार आयु में छूट
1.	अनारक्षित	05 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	05+03 = 08 वर्ष
3.	अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति	05+05 = 10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित)	वास्तविक आयु से दी गई सैन्य सेवा की कटौती के बाद 05+03 = 08 वर्ष।

5.	भूतपूर्व सैनिक (अन्य पिछड़ा वर्ग)	वास्तविक आयु से दी गई सैन्य सेवा की कटौती के बाद 05+03+03 = 11 वर्ष।
6.	भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति)	वास्तविक आयु से दी गई सैन्य सेवा की कटौती के बाद 05+05+03 = 13 वर्ष।

ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की स्थिति का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्णायक तिथि को उसके पास निर्धारित जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो तथा वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत न आता हो।

iii) जो अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(एनसीएल) श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।

iv) उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के निर्धारित प्रारूप **अनुलग्नक-"ई" से अनुलग्नक-"आई"** में दिए गए हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

v) विभागीय अभ्यर्थियों, जिनकी तीन वर्ष की निरंतर सेवा हो चुकी है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जो विभागीय अभ्यर्थी खुली भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

6. **उपलब्धियों/परीक्षण के आधार पर अंक प्रदान करना**:-

(i) केवल वे खिलाड़ी आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख **अर्थात् 30/09/2026** से पूर्व के दो वर्षों के दौरान पैरा-4 में उल्लिखित प्रतियोगिता के स्तरों में प्रतिनिधित्व किया हो अथवा पदक प्राप्त किया हो।

(ii) अभ्यर्थी को उपर्युक्त 6(i) में उल्लिखित अवधि के दौरान प्राप्त केवल एक सर्वोच्च पदक के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी एक प्रतियोगिता में 01 से अधिक पदक प्राप्त किए हैं, तो उस स्थिति में उसे उस प्रतियोगिता में प्राप्त केवल सर्वोच्च पदक/स्थान के लिए ही अंक प्रदान किए जाएंगे तथा अलग-अलग प्रतियोगिताओं के लिए प्राप्त अंकों को समग्र खेल उपलब्धियों में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले खिलाड़ियों की मेरिट सूची तैयार करने के लिए, नीचे दी गई तालिका के अनुसार उनकी खेल उपलब्धियों के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे: -

क्र.सं.	**प्रतिस्पर्धा**	**स्वर्ण पदक के अंक**	**रजत पदक के अंक**	**कांस्य पदक के अंक**	**प्रतिभागिता के लिए अंक**
1.	ओलंपिक खेल / ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन	100	96	92	80
2.	विश्व चैंपियनशिप / विश्व कप	90	86	82	70
3.	एशियाई खेल / राष्ट्रमंडल खेल	80	76	72	60
4.	एशियाई चैंपियनशिप / कप / राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	70	66	62	50
5.	युवा ओलंपिक खेल	60	56	52	40
6.	युवा / जूनियर विश्व चैंपियनशिप / विश्व कप	55	51	47	35

7.	युवा / जूनियर एशियाई चैंपियनशिप एवं युवा / जूनियर राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	50	46	42	30
8.	दक्षिण एशियाई महासंघ खेल एवं भारत सरकार (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, जिसमें न्यूनतम 07 देशों की भागीदारी हो तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया गया हो।	40	36	32	26
9.	**राष्ट्रीय खेल एवं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप**				
	i) व्यक्तिगत पदक	30	26	22	12
	ii)टीम/व्यक्तिगत खेलों में टीम स्पर्धा	26	22	18	8
10.	**युवा/जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप / अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएँ / राष्ट्रीय विद्यालय खेल / खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स / खेलो इंडिया यूथ गेम्स**				
	i) व्यक्तिगत पदक	20	16	12	6
	ii) टीम/व्यक्तिगत खेलों में टीम स्पर्धा	16	12	8	4

(iv) खेल कोटा के अंतर्गत हवलदार/जीडी एवं सिपाही/जीडी की भर्ती के लिए गठित बोर्ड ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मामलों की भी संस्तुति कर सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन/उपलब्धि के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं, स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तथा वह विभिन्न एआईपीजी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में केरिपुबल के साथ-साथ देश के लिए गौरव अर्जित करने की क्षमता ऱखते/रखती है, लेकिन उनके संबंधित खेल की आवश्यकताओं के कारण कद, सीना एवं वजन में कुछ छूट की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में आवश्यक छूट का स्पष्ट रूप से उल्लेख/संकेत करते हुए उनकी भर्ती की संस्तुति की जा सकती है। ऐसे मामलों पर **केवल गृह मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन** खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती हेतु विचार किया जा सकता है। भर्ती के ऐसे मामलों पर विचार करते समय बोर्ड अभ्यर्थियों की जांच करेगा तथा **अनुलग्नक "सी"** में दिए गए प्रारूप में ट्रायल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(v) वरीयता क्रम

ए)	प्रथम वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल विभाग की अनुमति से किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।
बी)	अगली वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाए, जिन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो तथा कोई पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो। सीनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के बीच, सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेकर पदक जीतने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
सी)	अगली वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाए, जिन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज/इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता अथवा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल विभाग के प्राधिकरण से आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो तथा फाइनल में कोई पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो।
डी)	अगली वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाए, जिन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल विभाग के प्राधिकरण से आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स (18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) अथवा खेलो इंडिया

	विंटर गेम्स में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो तथा फाइनल में कोई पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो।
ई)	अगली वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाए, जिन्होंने ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय खेल/क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में राज्य की विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो तथा कोई पदक जीता हो या तीसरे स्थान तक कोई स्थान प्राप्त किया हो।
एफ)	अगली वरीयता उन अभ्यर्थियों को दी जाए, जिन्होंने श्रेणी (बी) से (ई) में उल्लिखित स्तर की प्रतियोगिताओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/राज्य की विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, लेकिन कोई पदक या स्थान प्राप्त न किया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को उसी वरीयता क्रम में वरीयता दी जाएगी।

नोट 1: बराबरी की स्थिति में, उच्च स्थान प्राप्त करने वाले अथवा एक से अधिक पदक जीतने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाए।

नोट 2: व्यक्तिगत स्पर्धा और टीम स्पर्धा में भागीदारी को समान वरीयता दी जाए।

नोट 3: एक से अधिक पदक/स्थान प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त वरीयता नहीं दी जाएगी। (नोट 1 में उल्लिखित स्थिति को छोड़कर)

नोट 4: किसी टूर्नामेंट/प्रतियोगिता की स्थिति के संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल विभाग के परामर्श से मामले का निर्णय जायेगा।

7. <u>शारीरिक मानक परीक्षण</u>:

पदों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण निम्नानुसार है:-

7.1 कद (ऊँचाई):

7.1.1 पुरुष: 170 सेमी

7.1.2 महिला: 157 सेमी

7.1.3 कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त निर्धारित कद में छूट प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कद का रियायती मानक निम्नानुसार है:

क्र. सं.	के लिए छूट	पुरुष (सेमी)	महिला (सेमी)
(ए)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5	150.0
(बी)	पूर्वोत्तर राज्यों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	157.0	147.5
(सी)	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	160.0	147.5
(डी)	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा श्रेणी के अभ्यर्थी तथा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी	165.0	155.0
(ई)	पूर्वोत्तर राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थी।	162.5	152.5

(एफ)	गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थी, जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, अर्थात दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं तथा इन जिलों के निम्नलिखित "मौजा" उप-मंडल भी शामिल हैं: (1) लोहागढ़ टी गार्डन (2) लोहागढ़ फॉरेस्ट (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटाअदलपुर (7) पहारू (8) सुकना फॉरेस्ट (9) सुकना भाग-I (10) पंतापति फॉरेस्ट-I (11) महानदी फॉरेस्ट (12) चंपासारी फॉरेस्ट (13) सालबारी छट भाग-II (14) सीतोंग फॉरेस्ट (15) सिवोक हिल फॉरेस्ट (16) सिवोक फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया।0	157.0	152.5

7.2 छाती: पुरुष अभ्यर्थियों के लिए छाती की माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए:-

7.2.1 बिना फुलाए : 80 सेमी

7.2.2 न्यूनतम फुलाव : 5 सेमी

7.2.3 कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को छाती की माप में छूट प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए छाती की माप के रियायती मानक निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**के लिए छूट**	**बिना फुलाए (सेमी)**	**न्यूनतम फुलाव (सेमी)**
(ए)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी	76	5
(बी)	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा और मराठा श्रेणी के अभ्यर्थी तथा असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी।	78	5
(सी)	पूर्वोत्तर राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थी।	77	5
वजन:- पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सीय मानकों के अनुसार कद और आयु के अनुपात में। **(अनुलग्नक-"डी")**			

नोट-1: उपर्युक्तानुसार कद एवं छाती (जहाँ लागू हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित **अनुलग्नक-"आई"** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र **पीएसटी के समय प्रस्तुत करने पर ही** स्वीकार्य होगी।

नोट-2: ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानक परीक्षण, अर्थात् कद एवं छाती के संबंध में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे अपनी इच्छानुसार उसी दिन बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से नामित **अपीलीय प्राधिकारी** के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके बाद इस संबंध में कोई अन्य अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. <u>चिकित्सीय मानक :-</u> चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस का आंकलन करने के लिए केरिपुबल द्वारा गठित चिकित्सा बोर्डों द्वारा उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.05.2015 को जारी यू.ओ. संख्या ए-छः-1/2024-भर्ती(एसएसबी) तथा गृह

मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-32012/एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई/आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 माध्यम से जारी सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु चिकित्सीय परीक्षण के लिए एकरूप दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा। ये निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/policedevison_17062021_0.pdf

(i) दृष्टि: बिना किसी सुधार के, अर्थात चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाए बिना, दोनों आँखों की न्यूनतम दूर दृष्टि क्रमशः 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ii) वर्णांधता से ग्रस्त व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि सेवा अवधि के किसी भी चरण में कोई व्यक्ति वर्णांधता से ग्रस्त पाया जाता है, तो प्रचलित चिकित्सा शेप नीति के अनुसार उसे सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थी में नॉक नी, फ्लैट फुट, वैरिकोज वेन्स या आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा वह ऐसी किसी चिकित्सीय स्थिति या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जो कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर सकता हो अथवा संशोधित चिकित्सीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्वीकृति का कारण बन सकता हो। ये दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.05.2015 को जारी यू.ओ. संख्या ए-छः-1/2024-भर्ती(एसएसबी) तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-32012/एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई/आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 माध्यम से जारी किए गए हैं तथा सरकार द्वारा समय-समय पर इनमें संशोधन किया गया है।

(v) टैटू :–

(ए) **विषय-वस्तु:** भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना आवश्यक है। अतः भारतीय सेना में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार धार्मिक प्रतीकों या आकृतियों तथा नाम वाले टैटू की अनुमति दी जाएगी।

(सी) **स्थान :** शरीर के पारंपरिक स्थानों, जैसे अग्रबाहु के अंदरूनी हिस्से, पर टैटू की अनुमति होगी, लेकिन केवल बायाँ अग्रबाहु, जो सलामी देने वाला अंग नहीं है, अथवा हाथों की ऊपरी सतह पर बने टैटू ही स्वीकार्य होंगे।

(c) **आकार :** टैटू का आकार शरीर के संबंधित अंग (कोहनी या हाथ) के ¼ भाग से कम होना चाहिए।

नोट-1: अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण के समय निर्धारित प्रारूप में ऐसी बीमारियों के इतिहास अथवा उनकी उपस्थिति तथा लिए गए उपचार के संबंध में घोषणा देनी होगी, जिनके प्रमाण चिकित्सीय परीक्षण के दौरान आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यदि इस संबंध में बाद में सेवा के किसी भी चरण में कोई गलत घोषणा पाई जाती है, तो अभ्यर्थी के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

9. <u>आवेदन कैसे करें</u>: -

(ए) केरिपुबल भर्ती वेबसाइट **https://rect.crpf.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया **दिनांक 12/10/2026 को प्रातः 0900 बजे से प्रारंभ होगी और दिनांक 11/11/2026 को रात्रि 2359 बजे बंद हो जाएगी।**

(बी) पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी केवल केरिपुबल भर्ती वेबसाइट **https://rect.crpf.gov.in** के माध्यम से ही आवेदन करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन-पत्र भरें। आवेदन केवल **ऑनलाइन** माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाए। कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(सी) अभ्यर्थी को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व केरिपुबल भर्ती वेबसाइट https://rect.crpf.gov.in पर स्वयं द्वारा बनाए गए प्रोफाइल में, उपर्युक्त पैरा-4 में उल्लिखित खेल विधा से संबंधित प्रमाण-पत्र अथवा दस्तावेज की प्रति अपलोड करनी होगी, जो पैरा-6(iii) में उल्लिखित खेल उपलब्धि के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्त सर्वोच्च पदक/स्थान अथवा उच्चतम स्तर की भागीदारी के समर्थन में हो, ऐसा न करने पर जांच के दौरान उसका ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(डी) आवेदन शुल्क एवं भुगतान का माध्यम: - खेल कोटा के अंतर्गत हवलदार (जीडी) एवं सिपाही(जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में **₹100/- (केवल एक सौ रुपए)** केरिपुबल भर्ती वेबसाइट **https://rect.crpf.gov.in** के माध्यम से जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान किए जाने पर प्राप्त आवेदन सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। **महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट दी गई है।**

नोट: किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया में समायोजित किया जाएगा।

10. चयन प्रक्रिया:

पैरा-6(iii) में उल्लिखित प्रतियोगिताओं में **30/09/2024 से 30/09/2026** की अवधि के दौरान प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी केरिपुबल में **हवलदार/जीडी एवं सिपाही/जीडी (खिलाड़ी)** के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन सही पाए जाएंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में **पहचान की जांच, प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण, खेल परीक्षण तथा विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण/पुनरीक्षण चिकित्सीय परीक्षण** शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को भर्ती की निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा:-

(ए) दस्तावेजों की जांच शुरू होने से पहले सभी अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक कैप्चर भी शामिल होगा। भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान ली जा सकती है।

(बी) दस्तावेजों की जांच:– भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति, खेल उपलब्धि, आयु एवं कद में छूट प्राप्त करने के प्रमाण आदि से संबंधित सभी **मूल** दस्तावेज/प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। इनमें वे दस्तावेज भी शामिल होंगे, जिन्हें केरिपुबल भर्ती वेबसाइट पर पहले ही अपलोड किया गया है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों (शैक्षणिक, खेल, अधिवास एवं जाति प्रमाण-पत्र आदि) की जांच भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(सी) मूल दस्तावेजों एवं खेल प्रमाण-पत्र की भर्ती बोर्ड द्वारा संतोषजनक जांच के पश्चात, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उनसे मौके पर ही दस्तावेजों/खेल प्रमाण-पत्र की **स्व-सत्यापित प्रतियां** भर्ती बोर्ड को जमा करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद मूल दस्तावेज मौके पर ही वापस कर दिए जाएंगे तथा प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रतियां आवेदन के साथ रख ली जाएंगी।

(डी) केरिपुबल को भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र की वास्तविकता सत्यापित करने का अधिकार होगा और ऐसे सत्यापन/जांच के बाद केरिपुबल का निर्णय अंतिम होगा। निम्नलिखित दस्तावेजों की **मूल प्रति** सत्यापन के लिए आवश्यक होगी: -

(i) शैक्षणिक, खेल, अधिवास एवं जाति प्रमाण-पत्र आदि।

(ii) जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र।

(iii) यदि अभ्यर्थी इनमें से किसी श्रेणी से संबंधित है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) प्रमाण-पत्र **परिशिष्ट-'एफ'** के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-'जी'** के अनुसार तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण-पत्र (**वर्ष 2026-2027 के लिए वैध**) **अनुलग्नक-'एच'** के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का लाभ लेने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम होगी जोकि 11/11/2026 है।

(v) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह निर्णायक तिथि को संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) में नहीं आता है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि **11/11/2026** होगी जोकि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है।

(vi) ओबीसी (एनसीएल) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को **अनुलग्नक- 'एफ'** के अनुसार शपथ-पत्र/घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(vii) सरकारी सेवा में कार्यरत और इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी **अनुलग्नक- 'बी' के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी दस्तावेजीकरण के समय **अनापत्ति प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करने में असफल होंगे, उनकी अभ्यर्थिता सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(viii) कद एवं छाती में छूट का दावा करने के लिए (जहाँ लागू हो) **अनुलग्नक- 'आई'** के अनुसार प्रमाण-पत्र।

(ix) आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ के समान **नवीनतम पासपोर्ट आकार के चार फोटोग्राफ**।

(ई) अभ्यर्थियों को केवल उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राप्त पदकों अथवा भागीदारी के स्तर के लिए ही अंक प्रदान किए जाएंगे।

(एफ) पैरा-6(iii) में दी गई तालिका के अनुसार जिस उच्चतर पदक/स्थान अथवा भागीदारी के स्तर के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम अंक प्राप्त हो रहे हैं, केवल उसी के अंक पर विचार किया जाएगा।

(जी) यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी विशेष प्रतियोगिता में **1 (एक) से अधिक** पदक प्राप्त किए हैं, तो उस स्थिति में उसे उस प्रतियोगिता में प्राप्त केवल **एक सर्वोच्च पदक/स्थान** के लिए ही अंक प्रदान किए जाएंगे।

(एच) जो अभ्यर्थी निर्धारित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। दस्तावेजीकरण चरण में योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

(i) <u>शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)</u>: –

(i) दस्तावेजीकरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का **पैरा-7** में उल्लिखित मानकों के अनुसार शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा।

(ii) कद एवं छाती में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जिला प्राधिकारियों से अपने समुदाय के संबंध में **अनुलग्नक- 'आई'** के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में कद एवं छाती में छूट के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण(पीएसटी) के लिए उपस्थित होने पर उन्हें अपनी गर्भावस्था की स्थिति के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि वह स्वयं को गर्भवती नहीं होने की घोषणा करती हैं, तो उन्हें पीएसटी में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। गलत घोषणा की स्थिति में पीएसटी में सम्मिलित होने से उत्पन्न सभी जोखिमों की जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी।

(iv) यदि कोई महिला अभ्यर्थी पीएसटी से पूर्व अपने गर्भवती होने की घोषणा करती है, तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए परीक्षण कराया जाएगा। यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि चाहे जो भी हो, उसे अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और प्रसव होने तक उसकी नियुक्ति को स्थगित रखा जाएगा। जिस रिक्ति के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया था, वह रिक्ति उसके लिए आरक्षित रखी जाएगी। प्रसव की तिथि से छह सप्ताह बाद, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर उसका पीएसटी के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। यदि वह फिट पाई जाती है, तो उसे उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाएगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि महिला अभ्यर्थी गर्भावस्था परीक्षण में नेगेटिव पाई जाती है, तो उसे पीएसटी में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। **तथापि, अस्थायी रूप से अनफिट घोषित महिला अभ्यर्थियों को पीएसटी तथा डीएमई/आरएमई में उपस्थित होकर उन्हें उत्तीर्ण करना होगा और संबंधित खेल विधा/इवेंट की अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त करना होगा।**

(जे) <u>खेल परीक्षण: –</u>

पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण) में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को खेल परीक्षण में सम्मिलित होना होगा। अभ्यर्थियों का उनकी संबंधित खेल विधा में खेल परीक्षण अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जो अभ्यर्थी खेल परीक्षण में असफल होंगे, उन्हें भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **<u>खेल परीक्षण के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।</u>** खेल प्रमाण-पत्रों/खेल उपलब्धियों के लिए प्राप्त कुल अंक ही अंतिम मेरिट सूची निर्धारित करेंगे। खेल परीक्षण में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षण के दिन **डोप टेस्ट** भी किया जा सकता है। खेल परीक्षण को पुनः आयोजित कराने के संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। खेल परीक्षण के दौरान वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की जाएगी।

(के) मेरिट सूची :– विज्ञापित खेल विधा में अभ्यर्थियों द्वारा **पैरा-6(iii)** में दी गई तालिका के अनुसार खेल प्रमाण-पत्र/खेल उपलब्धियों के लिए प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि अंकों में समानता रहती है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक होने की स्थिति का निपटारा निम्नानुसार किया जाएगा:-

- अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा।
- यदि भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में समान उपलब्धि है, तो समानता दूर करने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्राप्त उपलब्धि पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उच्चतर उपलब्धि वाले अभ्यर्थी को मेरिट में उच्च स्थान दिया जाएगा।
- यदि फिर भी समानता बनी रहती है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि इसके बाद भी समानता बनी रहती है, तो अंग्रेजी में वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाले अभ्यर्थी के नाम को प्राथमिकता दी जाएगी।

नोट:

- खेल योग्यता के लिए मेरिट प्रमाण-पत्र, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04/08/1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14015/1/76-स्था.(डी) तथा डीओपीटी-1720781414772 एवं दिनांक 04/03/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/1/2020-कार्मिक नीति(डी) भाग खंड-II के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रदानकर्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**प्रतियोगिता**	**प्रमाण प्रदानकर्ता प्राधिकारी**	**प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप**
1.	अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव।	अनुलग्नक- "जे" (प्रपत्र-1)
2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव अथवा संबंधित खेल के राज्य संघ के सचिव।	अनुलग्नक- "के" (प्रपत्र-2)
3.	अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	संबंधित विश्वविद्यालय के खेल अधिष्ठाता अथवा विश्वविद्यालय में अन्य अधिकारी जो खेलों के समग्र प्रभारी हों।	अनुलग्नक- "एल" (प्रपत्र-3)
4.	विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय/खेल/क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ	राज्य के लोक शिक्षा/शिक्षा निदेशालय में विद्यालयों के खेल/क्रीड़ाओं के समग्र प्रभारी निदेशक अथवा अपर/संयुक्त/उप निदेशक।	अनुलग्नक- "एम" (प्रपत्र-4)
5.	खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया युवा खेल/खेलो इंडिया शीतकालीन खेल	खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया युवा खेल/खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा नामित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी।	अनुलग्नक- "एन" (प्रपत्र-5)

(एल) विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) :- रिक्तियों की संख्या के अनुसार मेरिट के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों का गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी चिकित्सा उपयुक्तता का आकलन करने के लिए विस्तृत चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। **(अनुलग्नक-'ओ')**

(एम) पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) :-

ए. विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) कराने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे अयोग्य होने के कारणों का उल्लेख करने वाली सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके लिखित सहमति दें, जैसा कि **अनुलग्नक-"पी"** में निर्धारित है।

बी. अभ्यर्थियों का पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के क्रम में ही, यथासंभव डीएमई के अगले दिन कराया जाएगा।

सी. अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई हेतु सहमति, **अनुलग्नक-"पी"** के अनुसार, डीएमई में अयोग्य पाए जाने की सूचना दिए जाने के **24 घंटे** के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. **यात्रा भत्ता/आवास/भोजन** :-

भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता, आवास अथवा भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को भर्ती स्थल पर अपने स्वयं के प्रबंध से कम से कम एक सप्ताह ठहरने की पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए।

12. **<u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश</u>** :-

1.	आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा संबंधी सूचना में दिए गए दिशा-निर्देशों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक भार होने के कारण सीआरपीएफ की वेबसाइट पर लॉग-इन करने में कनेक्शन टूटने/असमर्थता अथवा विफलता की संभावना से बचा जा सके।
3.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज करें, क्योंकि सीआरपीएफ द्वारा पत्राचार केवल ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जाएगा।
4.	जिन अभ्यर्थियों के पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भर्ती के विभिन्न चरणों (अर्थात दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण, खेल दक्षता/ट्रायल टेस्ट तथा चिकित्सा परीक्षण) का आयोजन/सम्पन्न समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। निर्धारित तिथि/समय के बाद किसी कारणवश छूटे हुए अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने संबंधी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5.	अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानक, खेल योग्यता आदि संबंधी आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित पद के लिए पात्र हैं। जांच के दौरान पात्रता मानदंड पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश-पत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किए जाएंगे जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा इस सूचना के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य आयु छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे ऐसी आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उन्हें अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाण-पत्र अपने पास रखना होगा।
7.	**देय शुल्क:** केवल अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क **₹100/-** है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट दी गई है।
8.	दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
9.	अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज विवरण के अनुसार ही लिखना होगा, अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा जब भी यह बात सीआरपीएफ के भर्ती बोर्ड के संज्ञान में आएगी, उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
10.	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को उपलब्ध मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज **जन्मतिथि एवं नाम** को ही **जन्मतिथि एवं नाम** के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
11.	ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसमें दर्ज किसी भी व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन/संशोधन का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12.	**अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक योद्धक बल के लिए आवेदन कर रहे हैं। अतः उन्हें उचित शारीरिक एवं मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती परीक्षा में भाग लेंगे।**

13.	खेल आयोजन/खेल विधा परीक्षण, डीएमई/आरएमई के प्रवेश-पत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी **हेल्पलाइन नंबर 011-26160255** पर कार्य दिवसों (अर्थात **सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक)** में संपर्क कर सकते हैं।
14.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपयोग किए गए पासपोर्ट आकार के फोटो की पर्याप्त संख्या उनके पास उपलब्ध रहे तथा भर्ती के सभी चरणों में ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए उसी पासपोर्ट आकार के फोटो को साथ लेकर आएं।
15.	अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र/स्थल पर पीएसटी, खेल आयोजन/खेल विधा परीक्षण तथा डीएमई/आरएमई के लिए कम से कम एक नवीनतम फोटोयुक्त पहचान-पत्र मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है। पहचान-पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान-पत्र, आयकर पैन कार्ड आदि में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा न करने पर उन्हें संबंधित परीक्षा/परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
16.	**एक अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है।** परीक्षा के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे तथा परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा के किसी भी चरण में एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
17.	धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ अथवा हस्ताक्षर वाले आवेदन सीधे तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।
18.	परीक्षा के किसी भी चरण का प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश-पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट **www.crpf.gov.in** को नियमित रूप से देखते रहें।
19.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस पद/खेल विधा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं।
20.	नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि अभ्यर्थी सीएपीएफ की चिकित्सा संबंधी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित हों तथा अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हों।
21.	खेल कोटा के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों के प्रदर्शन की कम से कम 2 वर्षों तक **प्रशिक्षण निदेशालय (अथवा जिस प्राधिकरण के नियंत्रण में विभिन्न खेल विधाओं की केंद्रीय खेल टीमें कार्य करेंगी)** द्वारा सघन निगरानी/अनुवीक्षण किया जाएगा। उन्हें अपनी नियुक्त खेल विधा से संबंधित सभी टूर्नामेंट/खेल/प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। यदि 2 वर्ष की अवधि के दौरान उनका प्रदर्शन स्तर गिरता है अथवा वे अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस शर्त का उनके नियुक्ति आदेश में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा।
22.	खेल कोटे के अंतर्गत चयनित खेल कार्मिकों को बढ़ती आयु, बीमारी, चोट आदि के कारण प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का न रहने पर संपूर्ण भारत में सामान्य ड्यूटी बटालियन में योद्धक ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है।
23.	भर्ती/कार्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी भी शिकायत/अभ्यावेदन से संबंधित कोई प्रश्न/अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
24.	अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने तथा प्रतिरूपण (किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने) को रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी। भर्ती के सभी चरणों में आधार आधारित बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, डिजिटल फोटो तथा शरीर पर मौजूद किसी विशिष्ट पहचान चिह्न का भी उपयोग किया जाएगा। **अतः आवेदन पत्र में आधार संख्या का उल्लेख करना होगा तथा खेल आयोजन/खेल विधा परीक्षण/दस्तावेजीकरण/डीएमई एवं आरएमई के समय अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

25.	निम्नलिखित कृत्यों के लिए दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी: i) किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पारितोषिक/अनुचित लाभ देने की पेशकश करना, या ii) किसी व्यक्ति पर दबाव डालना, या iii) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा ब्लैकमेल करने की धमकी देना, या iv) प्रतिरूपण करना, या v) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रतिरूपण करवाना, या vi) जाली दस्तावेज अथवा छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करना, या vii) गलत अथवा असत्य कथन करना अथवा महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना, या viii) परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान दुर्व्यवहार करना।
26.	किसी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/जाली आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध संबंधित कानूनों के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
27.	नियुक्ति, सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाले मामले, वरिष्ठता तथा प्रशिक्षण सीआरपीएफ के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होंगे।
28.	विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा भर्ती एवं परीक्षा/परीक्षण/परिणाम आदि से संबंधित अपडेट केवल सीआरपीएफ की वेबसाइट **https://rect.crpf.gov.in** पर प्रकाशित किए जाएंगे।
29.	**दलालों से सावधान रहें। सीआरपीएफ में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को पैसा दिया है या देने का वादा किया है, तो आपके साथ धोखा किया जा रहा है और आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपका चयन कराने के लिए पैसे की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, संबंधित भर्ती केंद्र के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक अथवा निकटतम पुलिस थाने को दें।**

महत्वपूर्ण सूचना:- इस विज्ञापन में हिंदी और अंग्रेजी पाठ के अर्थ में किसी भी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

हस्ता0 दि0 17/09/2026
(प्रशान्त दर)
उप महानिरीक्षक (भर्ती), महानिदेशालय

अनुलग्नक-" ए"

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से निम्नलिखित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ उनके नियोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ऐसा प्रमाण-पत्र भी संलग्न होना चाहिए, जिसमें यह सहमति दी गई हो कि यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से केरिपुबल में खेल कोटे के अंतर्गत हवलदार/जीडी (पुरुष/महिला) अथवा सिपाही/जीडी (पुरुष/महिला) के पद के लिए चयनित होता है, तो उसे वर्तमान सेवा से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ________________________केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन ....पद पर स्थायी/अस्थायी रूप से कार्यरत हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसने अपना आवेदन इस विभाग/कार्यालय में दिनांक________ को जमा कर दिया है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ______________________ को केरिपुबल में खेल कोटे के अंतर्गत हवलदार/जीडी (पुरुष/महिला) या सिपाही/जीडी (पुरुष/महिला) के पद पर चयन होने पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान________________
दिनांक_________________

कार्यालय प्रमुख / सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम तथा कार्यालय की मुहर सहित

अनुलग्नक " बी"

खेल कोटे के अंतर्गत अलग-अलग पद के लिए भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा बॉन्ड भरना

यह विदित हो कि मैं, ________________ निवासी _______________________ वर्तमान में/पूर्व में _____________________________ के पद पर _________________ कार्यालय में कार्यरत हूँ। मैं एतद् द्वारा दृढ़तापूर्वक यह वचन देता/देती हूँ कि भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे "सरकार" कहा जाएगा) द्वारा मांग किए जाने पर प्रारंभिक प्रशिक्षण पर हुए खर्च की वैध राशि, तथा उस पर मांग की तारीख से उस समय सरकारी ऋणों पर लागू सरकारी दरों के अनुसार ब्याज अदा करूंगा/करूंगी। यदि भुगतान भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है, तो उक्त राशि के बराबर उस देश की मुद्रा में भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना उस देश और भारत के बीच लागू आधिकारिक विनिमय दर के आधार पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वकील और मुवक्किल के बीच होने वाले खर्च तथा सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले सभी शुल्क एवं अन्य खर्च भी मैं अदा करूंगा/करूंगी।

जबकि मैं, ____, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में ____ के पद पर भर्ती/नियुक्त हो रहा/रही हूँ।"

"और जबकि, सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए, मैंने स्वेच्छा से नीचे लिखी गई शर्तों के साथ यह बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमति दी है।"

"उपरोक्त लिखित दायित्व की शर्त यह है कि यदि मैं ड्यूटी पर वापस कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता/रहती हूँ, अथवा सेवा से इस्तीफा देता/देती हूँ या किसी अन्य प्रकार से सेवा छोड़ता / छोड़ती हूँ, और उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर वापस कार्यभार ग्रहण नहीं करता/करती हूँ, अथवा ड्यूटी पर वापस लौटने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा करता/करती हूँ, तो मैं सरकार को अथवा सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्ति/प्राधिकारी को मांग किए जाने पर तत्काल ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की उक्त वैध राशि का भुगतान करूंगा/करूंगी। इसके साथ ही, उक्त राशि पर मांग की तारीख से उस समय सरकारी ऋणों पर लागू सरकारी दर के अनुसार ब्याज भी अदा करूंगा/करूंगी।"

"और मेरे द्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान कर दिए जाने पर, उपर्युक्त दायित्व/बंधपत्र शून्य एवं निष्प्रभावी हो जाएगा; अन्यथा यह पूर्ण रूप से प्रभावी और बाध्यकारी बना रहेगा।

मैंने इस बंधपत्र को इसकी सभी शर्तों, नियमों एवं इनके प्रभावों को समझने के पश्चात अपनी स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित किया है तथा स्वेच्छा से इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूँ।

भारत सरकार ने इस बंधपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क वहन करने के लिए सहमति प्रदान की है।
दिनांक ___________, माह _______________, वर्ष दो हजार _______________ को इस बंधपत्र पर हस्ताक्षर किए गए तथा _________________________ द्वारा इसे निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द किया गया।

गवाह:

1. --------------------------------------

2. --------------------------------------

स्थान:
दिनांक:

"भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं
उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया।"

अनुलग्नक – " सी"

खेल कोटे के तहत केरिपबुल में प्रतिभाशाली खिलाड़ी के चयन हेतु ट्रायल रिपोर्ट

हाल की फोटो जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया हुआ हो

भर्ती बोर्ड का गठन

अध्यक्ष : श्री

सदस्य- एक : श्री

सदस्य-दो : श्री

सहयोजित सदस्य : श्री

इरला / बल सं. पदः नामः ________

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी) :
4. स्थायी पता :
5. पत्राचार का पता :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. जन्म तिथि :
8. ऊँचाई (सेमी) :
9. वजन (किलोग्राम) :
10. छाती (से.मी.)पुरुषों के लिए :
11. छूट, यदि आवश्यक हो

    ए) ऊंचाई :

    बी) वज़न :

    सी) छाती :

12. खेल उपलब्धियाँ

    (वर्षवार एवं प्रतियोगितावार प्रदर्शन, जिसमें मीट/टूर्नामेंट का नाम भी उल्लेखित हो। टीम स्पर्धाओं के मामले में, टीम द्वारा प्राप्त स्थान/पद का उल्लेख किया जाए) :-

    ए) अंतर्राष्ट्रीय स्तर :

    बी) राष्ट्रीय स्तर :

    सी) जूनियर राष्ट्रीय स्तर :

डी) अंतर विश्वविद्यालय स्तर :

ई) स्कूल राष्ट्रीय स्तर :

13. शारीरिक दक्षता (मोटर क्वालिटी)

ए) ताकत :

बी) गति:

सी) चपलता / लचीलापन :

डी) सहनशीलता :

ई) कौशल :

14. बोर्ड के सदस्य-दो की राय / सदस्य-दो की रिपोर्ट :

15. **भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती हेतु विचार करने के लिए अनुशंसित पद इत्यादि,...**

सहयोजित सदस्य **सदस्य-दो** **सदस्य-एक** **अध्यक्ष**

नोट: -

ए) क्रम संख्या 3, 6, 7 एवं 12 के समर्थन में प्रस्तुत मूल दस्तावेजों की भर्ती बोर्ड द्वारा जाँच/सत्यापन कर उनकी छायाप्रतियाँ प्राप्त करके ट्रायल रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएँ। क्रम संख्या 12 में टिप्पणी केवल मूल प्रमाण-पत्र देखने के बाद ही दर्ज की जाए। इसके पश्चात मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस किए जा सकते हैं।

बी) क्रम संख्या 8, 9 एवं 10 में दिए गए माप-तौल के संबंध में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य द्वारा वास्तविक रूप में मापकर उसी के अनुसार दर्ज किया जाए। उक्त विवरण पर संबंधित सदस्य के हस्ताक्षर के साथ उसका नाम, पदनाम तथा इरला/बल सं. भी अंकित किया जाए।

सी) क्रम संख्या 13 में टिप्पणी केवल खिलाड़ी के वास्तविक प्रदर्शन को देखने एवं उसका मूल्यांकन करने के बाद ही दर्ज किया जाए।

डी) अभ्यर्थी का फोटो ट्रायल रिपोर्ट पर चिपकाकर उस पर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया जाए।

***

अनुलग्नक- डी

अलग-अलग उम्र और ऊंचाई के लिए पुरुषों का औसतन शारीरिक वजन किलोग्राम में

सेमी में	आयु (वर्षों में)			
	18 – 22	**23 – 27**	**28 – 32**	**33 – 37**
156	44 – 54	46 – 56	47 – 58	48 – 59
158	45 – 55	47 – 57	48.5 - 59.5	49.5 - 60.5
160	46 – 56	47.5 - 58.5	49.5 - 60.5	50.5 - 61.5
162	47 – 58	49 – 60	50.5 - 61.5	52 – 63
164	48 – 59	50 – 61	52 - 63.5	53 - 65
166	49.5 - 60.5	51.5 - 62.5	53 – 65	54.5 - 66.5
168	51 – 62	52.5 - 64.5	54.5 - 66.5	56 – 68
170	52 – 64	54 – 66	56 – 68	57.5 - 70.5
172	54 – 66	55.5 - 67.5	57 – 70	59 – 72
174	55 – 67	57 – 70	59 – 72	61 - 74.5
176	56.5 – 69	58.5 – 71.5	60.5 – 73.5	62 – 76
178	57.5 – 70.5	60 – 73	61.5 – 75.5	63.5 – 77.5
180	59 – 72	61 – 75	63.5 – 77.5	65.5 – 80
182	61 – 74.5	62.5 – 76.5	65 – 79	66.5 – 81.5
184	63 – 77	64.5 -78.5	66.5 – 81.5	68.5 – 83.5
186	63.5 – 77.5	65.5 – 80.5	68 – 83	70 – 86
188	65 – 79	67.5 – 82.5	70 – 85.5	71.5 – 87.5
190	66 – 81	68.5 – 83.5	70.5 – 86.5	72.5 – 88.5

अलग-अलग उम्र और ऊंचाई के हिसाब से महिलाओं का औसतन शारीरिक वजन किलोग्राम में।

सेमी में	आयु (वर्षों में)			
	18 – 22	**23 – 27**	**28 – 32**	**33 – 37**
148	34.5 – 42.5	37 – 45	38.5 – 47	39.5 – 48.5
150	36.5 – 44.5	37.5 – 45.5	39 – 48	40.5 – 49.5
153	38 – 46	39 – 48	41 – 50	42 – 51
155	38.5 – 47.5	40 – 49	41.5 – 50.5	43 – 52.5
158	40.5 – 49.5	42 – 51	43 - 53	44.5 – 54.5
160	41.5 – 50.5	43 – 52.5	44 – 54	45.5 – 54.5
163	43 – 52.5	44 – 54	46 - 56	47 – 57
165	44 – 54	45.5 – 55.5	47 – 58	48.5 – 59.5
168	45 – 55	47 – 57	48.5 – 59.5	49.5 – 60.5

- इस चार्ट में दिए गए शारीरिक वजन केवल निर्धारित ऊँचाइयों (सेंटीमीटर में) के अनुरूप हैं। बीच की ऊँचाई के मामले में, शारीरिक वजन निर्धारित करने के लिए "औसत" के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है।

- अधिक वजन के संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने पर बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर आकलन किया जाएगा।

अनुलग्नक- "ई"

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... पुत्र/पुत्री* श्री .... के गांव/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... के हैं और .... समुदाय से हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संकल्प संख्या 12011/63/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10 सितम्बर , 1993, जो भारत के राजपत्र असाधारण-भाग-I, संख्या 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 में प्रकाशित हुआ था।

@ संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर , 1994, भारत के राजपत्र असाधारण-भाग-I, खंड 1, संख्या 163, दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 में प्रकाशित ।

@ संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई , 1995, भारत के राजपत्र असाधारण-भाग-I, खंड 1, संख्या 88, दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 9 मार्च, 1996, भारत के राजपत्र असाधारण-भाग-I, खंड 1, संख्या 60 दिनांक 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड-1, संख्या 210, दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी, दिनांक 11 दिसम्बर , 1997, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 236, दिनांक 12 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित ।

@ संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 239, दिनांक 17 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 241, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित ।

@ संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1999, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 270, दिनांक 6 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 4 अप्रैल, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21 सितम्बर, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 210, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 6 सितम्बर, 2001, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 246 दिनांक 6 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12015/1/2000-बीसीसी दिनांक 19 जून, 2003, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 151 दिनांक 20 जून, 2003 में प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12015/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13 जनवरी, 2004, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित।

@ संकल्प संख्या 12015/14/2004-बीसीसी दिनांक 12 मार्च, 2007, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड 1, संख्या 67 दिनांक 12 मार्च, 2007 में प्रकाशित।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/या* उनका/उनकी* परिवार सामान्यतया .... गांव/कस्बा* .... जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... में निवास करता/करती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004- स्था. (आरक्षण) और दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004- स्था ·(आरक्षण) के अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर ....
** **पदनाम** ....।
(कार्यालय की मुहर के साथ)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

स्थान: ....
दिनांक: ....
*कृपया जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटा दें।
@जो भी लागू न हो उसे काट दें।

नोट : यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता/करते हैं" का वही अभिप्राय होगा, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 में निहित है।

** ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे न हो) ।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोट 1: अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उनकी जाति/समुदाय का नाम (वर्तनी सहित) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित नाम के बिल्कुल समान होना चाहिए। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाला प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2: अभ्यर्थी का ओबीसी दावा उस राज्य (या राज्य के जिस भाग) से वह मूल रूप से संबंधित है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अतः जो अभ्यर्थी एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से दूसरे राज्य में प्रवास कर चुका/चुकी है, उसे ऐसा ओबीसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उसके पिता के ओबीसी प्रमाण-पत्र के आधार पर उस राज्य से जारी किया गया हो, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं।

3: इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा अपने सरलीकृत आवेदन-पत्र में पहले से दर्शाई गई समुदाय/वर्ग की स्थिति में सामान्यतः आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुलग्नक- "एफ"

घोषणा/बचनबद्धता – केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए
(नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस के संबंध में)

मैं, ________________________________ पुत्र/पुत्री श्री ________________ गांव/कस्बा/शहर ______________जिला _____________राज्य _________ का निवासी हूं, एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं _______________ समुदाय से संबंधित हूं, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्था . (एससीटी), दिनांक 8/9/1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/2/2004- स्था. (आरक्षण) दिनांक 09/03/2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/2/2004- स्था.(आरक्षण) दिनांक 14.10.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 27/05/2013 के द्वारा संशोधित किया गया है। यह भी घोषित करता हूं कि मैं भारत सरकार के अनूसूची के कॉलम 3 में दर्शाए गए लोगों/सेक्शन (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

स्थान: _________ आवेदक (अन्य पिछड़ा वर्ग) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,

दिनांक: ________

- अभ्यर्थी द्वारा बिना हस्ताक्षरित घोषणा/बचनबद्धता प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक- "जी"

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

यदि कोई अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या नीचे दर्शाए अनुसार उस जिले, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यत: निवास करते हैं, का कोई ऐसा अधिकारी जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया हो, से एक प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी सामान्यत: निवास करता हो, न कि केवल अपनी शिक्षा के उद्देश्य से रहता हो। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक आंतरिक भाग है, आयोग ऐसे प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित छायाप्रति ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य प्रमाणित या सत्यापित प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। (भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*...सुपुत्र/सुपुत्री..................................ग्राम/नगर*.....................
..................जिला/मंडल*...........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*...............................के निवासी.....................जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो कि निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951* ....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ....

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों (संशोधन) आदेश, 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ....

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम),1976* द्वारा संशोधित किया गया है।

संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।

संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@।

संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अध्यादेश 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

2. उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र, श्री/श्रीमती/कुमारी*..................................के माता/पिता श्री/श्रीमती.................................. ग्राम/नगर*......................................जिला/मंडल*..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*............................. को .... के द्वारा दिनांक.......................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जो उस जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य /संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.......................... और/या उसका परिवार सामान्यत: .... ग्राम/नगर*...................... जिला/मंडल*............. राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र में निवास करता/करती है।

हस्ताक्षर
**पदनाम--------------------
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान ....
दिनांक ....

नोटः * - जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटा दें।
@ - कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश को दर्शाए।
% - जो पैराग्राफ लागू न हो, उसे हटा दें।
यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः निवास करता/करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निहित है।

** - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची:

ए) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

सी) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो।

डी) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

ई) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोटः तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक- "एच"

..........................सरकार

(प्माण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र)

प्रमाण पत्र संख्या .... तिथि...............

.... वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.......... ...... .ग्राम/गली ....डाकघर ....जिला............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में......................... पिन कोड.......... .... के स्थायी निवासी हैं जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गई है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि इनके 'परिवार' ** की सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। इनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है ***:

I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक

II. 1000 वर्गफुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जाति के हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त **<u>नहीं</u>** है।

कार्यालय मोहर के साथ हस्ताक्षर.....
नाम..
पदनाम...

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

*नोट. 1 - आय में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

** नोट.2 - इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*** नोट. 3 - ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा गया है।

4- **आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:-**

जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर /उपायुक्त /अपर उपायुक्त / डिप्टी क्लेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट /अपर-सहायक उपायुक्त /तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, या
राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो या
अभ्यर्थी तथा/या उसका परिवार आमतौर पर जहां निवासरत हो उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी।

अनुलग्नक- "आई"

लंबाई या छाती की माप से छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री-----------------------------------सुपुत्र श्री-------------------------------- ग्राम-----------------------तहसील/तालुका ----------------------------जिला-------------------------राज्य ----------------का स्थायी निवासी है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

* गढवाली, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी।

* पूर्वोत्तर के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी , जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप मंडल नामत: दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग तथा इन जिलों के निम्नलिखित मौजा उप-मंडल शामिल हैं:-
(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ फॉरेस्ट (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहाड़ू (8) सुकना फॉरेस्ट (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति फॉरेस्ट-1 (11) महानदी फॉरेस्ट (12) चंपासरी फॉरेस्ट (13) सालवारी छत भाग-2 (14) सितोंग फॉरेस्ट (15) सिवोके हिल फॉरेस्ट (16) सिवोके फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया

* वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

स्थान :-.................
दिनांक ....

*जो लागू न हो उसे हटा दें।

(अनुलग्नक– "जे")

(फार्म-1)

(मान्यता प्राप्त खेल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लेने के लिए)

.... की राष्ट्रीय खेल महासंघ/राष्ट्रीय खेल संघ

<u>केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' एवं 'डी' सेवाओं में नियुक्ति हेतु मेधावी खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ___________________________________, पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____________________________________, निवासी (पूरा पता) ____ ने **...** के खेल/ स्पर्धा **..................................** प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में, जो कि **..................................** दिनांक .... से .... तक आयोजित किया गया था, देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान **..................................** था।

यह प्रमाण-पत्र **..................** की राष्ट्रीय खेल महासंघ/राष्ट्रीय खेल संघ के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

स्थान: ....
हस्ताक्षर: ....
दिनांक: ....
नाम: ....

पदनाम: ....
महासंघ/राष्ट्रीय खेल संघ का
नाम: ....
पता: ....
मुहर: ....

नोट:
यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर राष्ट्रीय खेल महासंघ/राष्ट्रीय खेल संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

(अनुलग्नक–"के")

(फॉर्म-2)

(**भारत में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी मान्यता प्राप्त खेल/स्पर्धा की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु**)

.... खेल में...............................राज्य खेल संघ

<u>केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' एवं 'डी' सेवाओं में नियुक्ति हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</u>

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _______________, पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री _________________निवासी (पूरा पता) ____ ने **............**राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए **...........................**के खेल/स्पर्धा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट**,** जो **...................** दिनांक .... से .... तक आयोजित किया गया था, में भाग लिया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/ टीम द्वारा प्राप्त स्थान .... था।

यह प्रमाण-पत्र .... के राज्य खेल संघ के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

स्थान: ....
हस्ताक्षर: ....
दिनांक: ....
नाम: ....

पदनाम: ....
राज्य खेल संघ का नाम: ....
पता: ....
मुहर: ....

नोट:
यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर राज्य खेल संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

(अनुलग्नक- “एल”)

<u>फार्म- 3</u>

(किसी मान्यता प्राप्त खेल/स्पर्धा में अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

विश्वविद्यालय: ....

<u>केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप ‘सी’ एवं ‘डी’ सेवा में नियुक्ति हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी **..**, पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री **..**, निवासी **..**के छात्र/छात्रा ने **...** विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए **.................................** खेल/स्पर्धा में अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट, जो **..................**.. दिनांक .... से .... तक आयोजित किया गया था, में भाग लिया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .... था।

यह प्रमाण-पत्र **..** विश्वविद्यालय में खेलकूद के डीन अथवा खेल गतिविधियों के समग्र प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

स्थान: ....
दिनांक: ....
हस्ताक्षर: ....
नाम: ....

पदनाम: ....
विश्वविद्यालय का नाम: ....
पता: ....
मुहर: ....

नोट:
यह प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा जब इस पर .... विश्वविद्यालय के डीन/निदेशक अथवा खेल गतिविधियों के समग्र प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

(अनुलग्नक- “एम”)

फार्म – 4

राज्य के लोक शिक्षा निदेशालय/शिक्षा निदेशालय------------------- की ओर से केंद्र सरकार की ग्रुप ‘सी’ एवं ‘डी’ सेवाओं में नियुक्ति हेतु मेधावी खिलाड़ी को दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ______________________, पुत्र/पुत्री श्री ______________________ निवासी ____________________________ जो कि ____ (पूरा पता) के छात्र/छात्रा हैं, ने ______________________ राज्य की विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ______________________ खेल/प्रतियोगिता में भाग लिया। उक्त खिलाड़ी ने ______________________ में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में दिनांक __________ से _________ तक भाग लिया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान _____________ था।

यह प्रमाण-पत्र _________________________ के लोक शिक्षा निदेशालय/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

स्थान: ____________________
हस्ताक्षर: ____________________
दिनांक: __________________
नाम: ______________________

पदनाम: ____________________
पता: ______________________
मुहर: ______________________

नोट: यह प्रमाण-पत्र तभी वैध माना जाएगा जब इस पर राज्य के लोक शिक्षा निदेशालय/शिक्षा निदेशालय में खेल/क्रीड़ा अथवा विद्यालयों के खेल-कूद के समग्र प्रभारी निदेशक या अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

(अनुलग्नक- "एन")

<u>फॉर्म- 5</u>

(खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया यूथ खेल/खेलो इंडिया विंटर खेल में प्रतिनिधित्व करने के लिए)

<u>केंद्र सरकार की ग्रुप 'सी' सेवा में नियुक्ति हेतु मेधावी खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ________________________, निवासी _________________________ जो कि ___________ के छात्र/छात्रा हैं, ने ______________ विश्वविद्यालय/संस्थान/ विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए ________________________ खेल/प्रतियोगिता में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/ खेलो इंडिया यूथ खेल/खेलो इंडिया विंटर खेल में भाग लिया, जो कि _________ में दिनांक ___________ से ___________ तक आयोजित किया गया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्ति/टीम द्वारा प्राप्त स्थान __________ था।

यह प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

स्थान: ____________________
दिनांक: ___________________
हस्ताक्षर: __________________
नाम: ______________________

पदनाम: ____________________
पता: ______________________
मुहर: ______________________

नोट: यह प्रमाण-पत्र तभी वैध माना जाएगा जब इस पर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल/खेलो इंडिया यूथ खेल/खेलो इंडिया विंटर खेल के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

अनुलग्नक- "ओ"

खेल कोटा के अंतर्गत विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (हवलदार/सिपाही(जीडी)-2026)

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने श्री/कुमारी ______________________________ रोल नंबर _________________ आयु __________ वर्ष .... पुत्र/पुत्री श्री _______________________________, जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेल कोटा के अंतर्गत हवलदार/सिपाही (जीडी)-2026 के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी हैं, का परीक्षण किया है और मुझे उनमें -- के सिवाय कोई रोग (संक्रामक अथवा अन्य), शारीरिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अक्षमता नहीं पाई गई है। मैं इसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेल कोटा के अंतर्गत हवलदार/सिपाही (जीडी)-2026 के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं मानता/मानती।

1) सामान्य विकास अच्छा ठीक खराब

2) ऊंचाई .... सेमी. वजन .... किलोग्राम.

छाती (बिना फुलाए) .... फुलाकर...................... सेमी.

नोट: अभ्यर्थी का वजन उसकी ऊँचाई/आयु के लिए निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए। (ऊँचाई, वजन और आयु का चार्ट अनुलग्नक-डी के अनुसार संलग्न है)

3) बॉडी बिल्ट पतला औसत मोटा
4) स्किन - कोई भी जन्मजात असामान्यता।
5) आँखें दाएँ बाएँ

ए) कोई प्रत्यक्ष/स्पष्ट बीमारी
i) इक्सटर्नल
ii) मेडिया
बी) दृश्य तीक्ष्णता
i) दूरस्थ
ii) निकट
सी) कलर विजन
डी) भेंगापन

6) कान दायाँ बायाँ
(ए) कोई प्रत्यक्ष/स्पष्ट बीमारी
(बी) सुनना
(सी) पीएनएस

7) नाक और गला
8) ग्लैंड्स ....थायरॉइड ....
9) दाँतों की स्थिति ....डेंटल प्वाइंट................
10) श्वसन प्रणाली
i) छाती की बनावट/आकार
ii) ब्रीथिंग रेट।
iii) स्टेथोस्कोपिक जांच में कोई भी असामान्यता ।
11) (A) परिसंचरण तंत्र:- हृदय: गति
स्टैंडिंग..............प्रति मिनट

25 बार उछलने के बाद ....प्रति मिनट
उछलने के 2 मिनट बाद................. प्रति मिनट
कोई शारीरिक विकृति ....

(बी) ब्लड प्रेशर सिस्टॉलिक ....मिमी एचजी
डायस्टोलिक..............मिमी एचजी

12) पेट
- (ए) गिर्थ
- (बी) टेडरनेस
- (सी) पल्पेवलिटी
  - (i) यकृत
  - (ii) प्लीहा
  - (iii) गुर्दा
  - (iv) ट्यूमर
- (डी) बवाशीर
- (ई) फिशर/फिस्टुला
- (एफ) हर्निया/हाइड्रोसील
- (जी) कोई अन्य बीमारी
- (एच) वेरीकोसेल
- (आई) साइनस

13) लोकोमोटर सिस्टम
- (ए) रीढ़ की हड्डी की स्थिति
- (बी) लिम्ब्स/जोड़ों की स्थिति
- (सी) नॉक नी
- (डी) फ्लैट फुट
- (ई) बाउ लेग्स
- (एफ) जोड़ों की कोई और बीमारी।

14) तंत्रिका तंत्र
- (i) नर्वस सिस्टम की अस्थिरता के कोई प्रमाण
- (ii) ट्रिमोर
- (iii) मानसिक रोग का इतिहास
- (iv) बोलना: हकलाना।

15) जननांग मूत्र प्रणाली

16) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच की रिपोर्ट।
(भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एक्सरे जांच की जानी चाहिए)

17) नियमित पैथोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट
- (a) मूत्र परीक्षण: -
  - (i) फिजिकल एपीय़रेंस.................................
  - (ii) एसपी ग्रुप, ...
  - (iii) ऐल्ब्यूमिन ....
  - (iv) शुगर................................... .....
  - (v) कास्ट ....
  - (vi) सेल्स..................................
  - (vii) यूपीटी..(महिला अभ्यर्थियों के लिए मूत्र में एचसीजी जांच)

(b) रक्त (एचबी) परीक्षण.....................................

18) दोषपूर्ण बुद्धि

19) ट्यूबरकुलर बीमारी, जन्मजात या एक्वायर्ड सिफलिस का संकेत।

20) ब्रोन्कियल या लेरिंजियल बीमारी।

21) सामान्य रूप से शारीरिक बनावट खराब होना।

22) किसी भी डिग्री का स्क्विंट।

23) बोलने में किसी भी तरह की कमी जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में ड्यूटी अच्छे से करने में रुकावट आ सकती है।

24) क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में कोई ऐसी समस्या है जो उसे अपनी सेवा के कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक करने में बाधा डाल सकती है? यदि हां तो उसका विवरण दें

25) मामूली शारीरिक दोष पाए गए है जो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

26) अभ्यर्थी को अनफिट घोषित करने के कारण बताएं।

27) चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्ष

i) फिट

ii) ....

....

....

के कारण अयोग्य

28) पहचान चिह्न: 1) ....

2) ....

अभ्यर्थी के बांए हाथ के अंगूठे का निशान

अभ्यर्थी के नाम और हस्ताक्षर
रोल नंबर सहित

चिकित्सा अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
दिनांक और स्टाम्प सहित
....

स्थान..................
दिनांक...................

घोषणा पत्र

1. अभ्यर्थी को चिकित्सीय जांच से पहले निम्नलिखित बयान देना होगा तथा इसके साथ संलग्न घोषणा-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। **नीचे दी गई चेतावनी को ध्यान से पढ़ें** :-

रोल नंबर- .... नाम- ....

क्या आपको यह कभी हुआ है या अभी है:

क्र.सं. Sl. No.	शर्त CONDITIONS	हां YES	नहीं NO
1.	दमा, साँस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना, या इनहेलर का इस्तेमाल। Asthma, wheezing or inhaler use		
2.	मिर्गी, दौरे पड़ना, ऐंठन या झटके आना। Epilepsy, fits, seizures or convulsions		
3.	गर्दन या कमर में बार-बार दर्द होना, या पीठ की डिस्क का खिसकना, अथवा खिसकी हुई डिस्क की सर्जरी। Recurrent neck or back pain or ruptured or bulging disc in your back or surgery for a ruptured or bulging disc.		
4.	मादक पदार्थों का सेवन, दुरुपयोग, लत या निर्भरता हेतु जाँच, उपचार या अस्पताल में भर्ती । Evaluation, treatment or hospitalization for substance use, abuse, addiction or dependence.		
5.	पैरों में दर्द। Foot pain		
6.	क्या जोड़ों में दर्द, सूजन, जोड़ का निकल जाने की समस्या या किसी भी जोड़ का ऑपरेशन हुआ है? A swollen, painful, or dislocated joint or fluid in a joint or any problem or surgery of any joint		
7.	किसी भी हड्डी या जोड़ की सर्जरी (जैसे घुटना, कंधा, कोहनी, कलाई आदि जिसमें आर्थ्रोस्कोपी भी शामिल है) Surgery on a bone or joint (knee, shoulder, elbow, wrist etc including arthroscopy)		
8.	घुटने या अन्य जोड़ का जाम होना या अचानक ढीला पड़ना । Locking or giving way of knee or other joint		
9.	बेहोशी या चक्कर खाकर गिरना । Episode of unconsciousness or Fainting spells		
10.	कॉन्टैक्ट लेंस का पहनना या लेसिक अथवा किसी अन्य प्रकार की आँखों की सर्जरी । Wear contact lenses or undergone LASIK or any kind of other eye surgery		
11.	रतौंधी Night blindness		
12.	सिर में चोट, खोपड़ी की हड्डी की टूट-फूट सहित, चोट लगने से मस्तिष्क पर असर, बेहोशी, सिरदर्द इत्यादि । Head injury, including skull fracture, resulting in concussion, loss of consciousness, headache etc.		

13.	अवसाद, मदिरा या मादक पदार्थो के सेवन अथवा अन्य दिक्कतों के ईलाज तथा काउंसेलिंग के लिए मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, अथवा सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य जानकारों से भर्ती/बिना भर्ती हुए मिलना। Seen a psychiatrist, psychologist, social worker, counselor or other professional for any reason (*inpatient or outpatient*) including counseling or treatment for any problem including depression or treatment for alcohol, drug or substance abuse.		
14.	अनियमित दिल की धड़कन, जिसमें धड़कन का बहुत तेज़ या बहुत धीमा होना आदि शामिल है । Irregular heartbeat, including abnormally rapid or slow heart rates.		
15.	क्या आपको कभी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया (केवल सेवारत कर्मी हेतु) या पहले किसी भी चिकित्सा जांच में अयोग्य रहे हैं। Been placed in LMC ever (for departmental candidates only) or rejected earlier in any medical examination		
16.	हेपेटाइटिस (लीवर में संक्रमण या सूजन)। Hepatitis (liver infection or inflammation)		
17.	पीलिया Jaundice		
18.	आपको या आपके परिवार में किसी को कुष्ठ रोग हुआ है। Leprosy in you or your family.		
19.	आंतों में रुकावट (पेट साफ न होना) या आंतों की कोई अन्य पुरानी या बार-बार होने वाली समस्या, जिसमें छोटी आंत या बड़ी आंत की समस्याएँ, जैसे क्रोहन रोग या कोलाइटिस, शामिल हैं। Intestinal obstruction (locked bowels), or any other chronic or recurrent intestinal problem, including small intestine or colon problems, such as crohn's disease or colitis.		
20.	आंत के हिस्से को निकालने वाली सर्जरी। Surgery to remove a portion of the intestine		
21.	पिताशय में दिक्कत या पथरी । Gall bladder trouble or gall stones		
22.	एक किडनी न होना या किडनी में कोई दिक्कत, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय में दिक्कत या कोई सर्जरी, या पथरी अथवा मूत्रवाहिनी से जुड़ी अन्य समस्या । Missing a kidney or any problem of Kidney, urinary tract or bladder or any Surgery or any stone or other urinary tract problems.		
23.	हड्डी टूटना (फ्रैक्चर) — बिना ऑपरेशन के ठीक या उसे जोड़ने हेतु ऑपरेशन हुआ हो। Broken bone (Fracture(s))- united without any surgery or required surgery to repair		
24.	थायरॉइड की कोई बीमारी या उसके लिए ली जाने वाली दवाई । Thyroid condition or taking medication for your thyroid		
25.	पेशाब में शुगर, प्रोटीन या खून आना। Sugar, protein or blood in urine		
26.	कान के पर्दे में छेद या कान से पस निकलना। Perforated ear drumsor discharge from ears		
27.	कान की सर्जरी, जैसे मास्टॉइडेक्टॉमी या कान के पर्दे में छेद की मरम्मत; बहरापन या सुनने की मशीन की आवश्यकता। Ear surgery to include mastoidectomy or repair of perforated ear drum, hearing loss or need/ use a hearing aid		

28.	आपने कभी होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा आदि जैसी किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से ईलाज करवाया है? यदि हाँ, तो किस बीमारी के लिए किया ? Any history of taking treatment under alternative medicine systems like homoeopathy, ayurveda, unani, siddha, naturopathy etc. and for what		
29.	किसी भी दवाई का सेवन, यदि हाँ, तो किस बीमारी हेतु। Taking any medication, if so for what		
30.	कोई भी अन्य बीमारी, सर्जरी या अस्पताल में भर्ती जो ऊपर वर्णित नहीं है। Any illness, surgery or hospitalization not listed above.		
	केवल महिला उम्मीदवारों के लिए **For Female Candidates only**		
31.	क्या आप गर्भवती हैं अथवा नहीं? Whether pregnant or not?		
32.	क्या आपके पीरियड्स अनियमित रहते हैं? History of irregular menstrual period?		
33.	योनि से असामान्य पानी का स्राव । History of any abnormal vaginal discharge		
34.	क्या कभी स्त्री रोग से जुड़ी कोई जाँच गलत आई है? History of any abnormal gynecological investigations		
35.	क्या आपका स्त्री रोग संबंधी कोई ऑपरेशन हुआ है? History of any gynecological surgery		
36.	क्या आपके स्तन में दर्द/ गांठ या कुछ बहाव हुआ है? History of breast pain/lump or discharge from the nipple		

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

अपने परिवार के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें: -

पिता की उम्र, यदि वे जीवित हैं, और स्वास्थ्य की स्थिति।	पिता की मृत्यु के समय उम्र, यदि मृत हों, और मृत्यु का कारण।	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति।	मृत भाईयों की संख्या, यदि कोई हो तो, मृत्यु के समय उनकी उम्र और मृत्यु का कारण।

माता की उम्र, यदि वे जीवित है, और स्वास्थ्य की स्थिति।	माता की मृत्यु के समय उम्र, यदि मृत हों, और मृत्यु का कारण।	जीवित बहनों की संख्या, उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति।	मृत बहनों की संख्या, यदि कोई हो तो, मृत्यु के समय उनकी उम्र और मृत्यु का कारण।

उपरोक्त सभी चिकित्सा संबंधी जानकारी को पूर्णतः समझने के बाद, मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रश्नों के मेरे द्वारा दिए गए उत्तर, मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, सत्य एवं सही हैं। मैं यह भी गंभीरतापूर्वक पुष्टि करता/करती हूँ कि मुझे किसी बीमारी अथवा अन्य किसी स्थिति के कारण कोई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की गलत जानकारी देने अथवा प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने के लिए मैं कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। गलत जानकारी देना अथवा किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अयोग्यता का कारण माना जाएगा और इसके कारण मुझे सरकार के अधीन रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय यह तथ्य सामने आता है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई है अथवा किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया गया है, तो मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान--------------------------
तिथि--------------------------

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर मोहर सहित)

नोटः उपर्युक्त कथन के सही होने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। किसी भी जानकारी को जानबूझकर छिपाये जाने पर उसकी नियुक्ति समाप्त/रद्द की जा सकती है और यदि वह नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवानिवृत्ति भत्ते अथवा ग्रेच्युटी के सभी दावों से वंचित किया जा सकता है।

(भारत सरकार: गृह मंत्रालय, का.ज्ञा. संख्या एफ 5 (II)-55-एम-II, दिनांक 27 सितम्बर 1957)।

अनुलग्नक- "पी"

<u>केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में हवलदार/जीडी, सिपाही/जीडी (खिलाड़ी) के पद के लिए डीएमई में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की पुन: चिकित्सीय जाँच/परीक्षण।</u>

श्री/सुश्री ______________________ रोल नंबर ________________ को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनकी सीआरपीएफ में __________________ (पद/रैंक) के पद पर भर्ती हेतु दिनांक __________ को ________बजे चिकित्सीय जाँच की गई और उन्हें नीचे उल्लिखित कारणों से **अयोग्य** पाया गया:-

i) ....

ii) ....

iii) ....

iv) ....

2. आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए गए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करके **पुनः चिकित्सीय जाँच (आरएमई)** के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरएमई दिनांक __________________ को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आपको _______________ बजे रिपोर्ट करना होगा।

तिथि : -	चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
केंद्र -	नाम
	मोहर

अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर मुहर सहित

<u>चिकित्सीय जांच का परिणाम प्राप्त किया।</u>

अभ्यर्थी के नाम और हस्ताक्षर

<u>केवल अभ्यर्थी के प्रयोग हेतु</u>

सेवा में,

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष

____

विषयः- **<u>पुनः चिकित्सीय जाँच हेतु आवेदन-पत्र</u> ।**

महोदय,

मैं पुनः चिकित्सीय जाँच करवाने हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

स्थान : __________

हस्ताक्षर __________
नाम __________________
रोल नंबर _______________

(....)

अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खेल कोटे के अंतर्गत हवलदार/सिपाही (सामान्य ड्यूटी) (पुरुष व महिला) के पद पर भर्ती हेतु आवेदन-पत्र – 2026

1. **<u>पद का विवरण</u>**

आवेदित पद : सीआरपीएफ में खेल कोटा-2026 के अंतर्गत हवलदार/सिपाही (सामान्य ड्यूटी) .... (खेल का नाम)

आवेदन संख्या : ....
आवेदन की स्थिति : ....
भुगतान स्थिति : ....

2. **<u>व्यक्तिगत जानकारी</u>**

अभ्यर्थी का पूरा नाम : ....
मोबाइल संख्या : ....
ईमेल आईडी : ....

3. **<u>पहचान का विवरण</u>**

आधार संख्या : ....
पहचान पत्र पर अंकित नाम : ....

4. **<u>अतिरिक्त जानकारी</u>**

जन्म तिथि : ....
आयु : ....
राष्ट्रीयता : ....
पिता का नाम : ....
माता का नाम : ....
स्थायी पहचान शरीर पर निशान : ....
लिंग : ....
वैवाहिक स्थिति : ....

5. **<u>निवास का विवरण</u>**

क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है : ....
निवास जारी करने वाला राज्य : ....
निवास प्रमाण पत्र संख्या : ....

6. **<u>श्रेणी आरक्षण</u>**

धर्म : ....
वर्ग : ....
क्या आप नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं? : ....
प्रमाण पत्र संख्या : ....
प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य : ....
प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला : ....
प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी : ....

प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि : ....

7. **भर्ती का तरीका** : सीधी भर्ती (डीई)

8. उप श्रेणी

क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? : ....
विभागीय उम्मीदवार : ....

9. स्थायी पते का विवरण

स्थायी पता लाईन 1 : ....
गाँव/शहर का नाम : ....
पोस्ट ऑफ़िस : ....
तहसील का नाम : ....
निकटतम पुलिस स्टेशन : ....
ज़िला : ....
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश : ....
पिन कोड : ....
क्या स्थायी पता और पत्राचार के पते एक समान है? ....

10. पत्राचार के पते का विवरण

पत्राचार पता लाईन 1 : ....
गाँव/शहर का नाम : ....
पोस्ट ऑफ़िस : ....
तहसील का नाम : ....
निकटतम पुलिस स्टेशन : ....
ज़िला : ....
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश : ....
पिन कोड : ....

11. शारीरिक मापदंड

ऊँचाई (से.मी. में) : ....
वजन (किलोग्राम में) : ....
शारीरिक मापदंड : ....

12. अन्य विवरण

क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है? : ....

13. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

शैक्षणिक योग्यता का प्रकार : ....
प्रमाणपत्र संख्या : ....
वर्ष : ....
बोर्ड/विश्वविद्यालय राज्य : ....
बोर्ड/विश्वविद्यालय : ....

14. <u>उपलब्धि विवरण</u>

प्रतियोगिता/विषय	:	....
प्रतियोगिता	:	....
उपलब्धि	:	....
संगठन का नाम	:	....
प्रमाणपत्र की तिथि	:	....

15. <u>प्रमाणपत्र और दस्तावेज़</u>

फोटो अपलोड करें (3.5X4.5 सेमी)

हस्ताक्षर अपलोड करें

अंगूठे का निशान अपलोड करें

एसएससी/मैट्रिक/
हाई स्कूल प्रमाणपत्र

इंटरमीडिएट (10+2) प्रमाणपत्र

जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें

योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करें

16. <u>लेन-देन का विवरण</u>

तारीख	:	....
गेटवे	:	....
गेटवे लेनदेन आईडी	:	....
लेनदेन आईडी	:	....
राशि	:	....
शुल्क की स्थिति	:	....

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... आयु .... वर्ष, निवासी .... जिला .... राज्य .... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य से भली-भांति अवगत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे कानून के अनुसार परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही, मेरे द्वारा प्राप्त किए गए सभी लाभ तत्काल वापस ले लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मैं समझता/समझती हूँ कि यदि परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाए जाने या अयोग्यता का पता चलने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

स्थान ____________
तारीख_____________

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(पूरा नाम) __________